संख्या-150 / 2015 / 250आ.न.यो. / 9-8-15-39आ.न.यो(बजट) / 2014

प्रेषक,

**उमा शंकर सिंह,**
संयुक्त सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

**अधिशासी अधिकारी,**

(1) नगर पंचायत-कौडियागंज, जनपद-अलीगढ।
(2) नगर पंचायत-फैजगंज, जनपद-बदायूं।
(3) नगर पंचायत-किशनी, जनपद-मैनपुरी।
(4) नगर पंचायत-बुढाना, जनपद-मुजफ्फरनगर।
(5) नगर पंचायत-महोना, जनपद-लखनऊ।
(6) नगर पंचायत- मलिहाबाद, जनपद-लखनऊ।
(7) नगर पंचायत-बख्शी का तालाब, जनपद-लखनऊ।
(8) नगर पंचायत-अम्बेहटा, जनपद-सहारनपुर।
(9) नगर पंचायत- अवागढ, जनपद-एटा।
(10) नगर पंचायत- निधौलीकलां, जनपद-एटा।
(11) नगर पंचायत- हरिहरपुर, जनपद-संतकबीरनगर ।
(12) नगर पंचायत- नवाबगंज, जनपद-उन्नाव।
(13) नगर पंचायत-गंजमुरादाबाद, जनपद-उन्नाव।
(15) नगर पंचायत-अदरी, जनपद-मऊ।
(15) नगर पंचायत-कोपागंज, जनपद-मऊ।
(16) नगर पंचायत-गोवर्धन, जनपद-मथुरा।
(17) नगर पंचायत-बीकापुर, जनपद-फैजाबाद।
(18) नगर पंचायत-गोसाईगंज, जनपद-फैजाबाद।
(19) नगर पंचायत-बिलराम, जनपद-कासगंज।
(20) नगर पंचायत-मोहनपुर, जनपद-कासगंज।
(21) नगर पंचायत-रिसिया, जनपद-बहराइच।

नगर विकास अनुभाग-8 लखनऊ: दिनांक 06 फरवरी, 2015

**विषयः**- वित्तीय वर्ष 2014-15 में आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत विभिन्न नगर पंचायतों को पूर्व में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निर्गत की गयी वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष चालू कार्यो हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत विभिन्न नगर पंचायतों को अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु आदर्श नगर योजनान्तर्गत विभिन्न शासनादेशों द्वारा सम्बन्धित नगर पंचायतों के द्वारा प्रस्तुत कार्ययोजनाओं के आधार पर, सम्बन्धित कार्यो हेतु वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, उसके सापेक्ष 50 प्रतिशत की धनराशि पूर्व में स्वीकृत की गयी थी, जिसके सापेक्ष सम्बन्धित नगर पंचायतों द्वारा आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत उक्त 50 प्रतिशत धनराशि का उपयोग करते हुए अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। अत: आदर्श नगर योजना में वित्तीय वर्ष 2014-15 में जारी किये गये विभिन्न शासनादेशों में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत निम्न नगर पंचायतों को उनके नाम के सम्मुख अंकित अवशेष धनराशि चालू कार्यो हेतु अवमुक्त करते हुए, कुल धनराशि रूपये 1069.525 लाख (**रूपये दस करोड़ उन्हत्तर लाख बावन हजार पांच सौ मात्र**) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

http://sfcsanadesh.up.nic.in

**(धनराशि रूपये लाख में)**

| d- | tuin | fudk; | Lohdfr fo"k;d 'kklukn'k | foRrh; ,oa i'kkldh; Lohdfr dh /kujkf'k | iFke fd'r d :i e voeDr /kujkf'k | voeDr dh tku okyh /kujkf'k |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अलीगढ | न.पं. कौडियागंज | 295/2287आ.न.यो./9-8-2014-28आ.न.यो.(बजट)/14 दिनांक 20.10.2014 | 35.00 | 17.50 | 17.50 |
| 2 | बदायूं | न.पं. फैजगंज | 293/2283आ.न.यो./9-8-2014-27आ.न.यो.(बजट)/2014 दिनांक 20.10.2014 | 192.83 | 96.415 | 96.415 |
| 3 | मैनपुरी | न.पं. किशनी | 305/2461आ.न.यो./9-8-2014-34आ.न.यो.(बजट)/2014 दिनांक 13.11.2014 | 97.67 | 48.835 | 48.835 |
| 4 | मुजफ्फर नगर | न.पं. बुढाना | 295/2287आ.न.यो./9-8-2014-28आ.न.यो.(बजट)/2014 दिनांक 20.10.2014 | 75.00 | 37.50 | 37.50 |
| 5 | लखनऊ | न.पं. महोना | 295/2287आ.न.यो./9-8-2014-28आ.न.यो.(बजट)/2014 दिनांक 20.10.2014 | 90.00 | 45.00 | 45.00 |
| 6 | लखनऊ | न.पं. बख्शी का तालाब | 295/2287आ.न.यो./9-8-2014-28आ.न.यो.(बजट)/2014 दिनांक 20.10.2014 | 125.00 | 62.50 | 62.50 |
| | | | 291/1988आ.न.यो./9-8-2014-24आ.न.यो.(बजट)/2014 दिनांक 20.10.2014 | 100.00 | 50.00 | 50.00 |
| 7 | लखनऊ | न.पं. मलिहाबाद | 291/1988आ.न.यो./9-8-2014-24आ.न.यो.(बजट)/2014 दिनांक 20.10.2014 | 165.00 | 82.50 | 82.50 |
| 8 | सहारनपुर | न.पं. अम्बेहटा | 296/2404आ.न.यो./9-8-2014-30आ.न.यो.(बजट)/2014 दिनांक 29.10.2014 | 115.00 | 57.50 | 57.50 |
| 9 | एटा | न.पं. अवागढ | 305/2461आ.न.यो./9-8-2014-34आ.न.यो.(बजट)/2014 दिनांक 13.11.2014 | 40.00 | 20.00 | 20.00 |
| 10 | एटा | न.पं. निधौलीकलां | 295/2287आ.न.यो./9-8-2014-28आ.न.यो.(बजट)/2014 दिनांक 20.10.2014 | 10.00 | 05.00 | 05.00 |
| 11 | संतकबीर नगर | न.पं. हरिहरपुर | 441/2740आ.न.यो./9-8-14-42आ.न.यो.(बजट)/2014 दिनांक 31.12.2014 | 24.40 | 12.20 | 12.20 |
| 12 | उन्नाव | न.पं. नवाबगंज | 305/2461आ.न.यो./9-8-2014-34आ.न.यो.(बजट)/2014 दिनांक 13.11.2014 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
| 13 | उन्नाव | न.पं. गंजमुरादाबाद | 287/2015आ.न.यो./9-8-2014-25आ.न.यो.(बजट)/2014 दिनांक 15.10.2014 | 205.82 | 102.91 | 102.91 |
| 14 | मऊ | न.पं. अदरी | 293/2283आ.न.यो./9-8-2014-27आ.न.यो.(बजट)/2014 दिनांक 20.10.2014 | 353.82 | 176.91 | 176.91 |
| 15 | मऊ | न.पं. कोपागंज | 305/2461आ.न.यो./9-8-2014-34आ.न.यो.(बजट)/2014 दिनांक 13.11.2014 | 120.00 | 60.00 | 60.00 |
| 16 | मथुरा | न.पं. गोवर्धन | 298/2343आ.न.यो./9-8-2014-29आ.न.यो.(बजट)/2014 दिनांक 29.10.2014 | 105.00 | 52.50 | 52.50 |
| 17 | फैजाबाद | न.पं. बीकापुर | 296/2404आ.न.यो./9-8-2014-30आ.न.यो.(बजट)/2014 दिनांक 29.10.2014 | 15.00 | 07.50 | 07.50 |
| 18 | फैजाबाद | न.पं. | 296/2404आ.न.यो./9-8-2014-30आ.न.यो.(बजट)/2014 | 49.51 | 24.755 | 24.755 |

http://shasanadesh.up.nic.in

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | गोसाईगंज | दिनांक 29.10.2014 | | | |
| 19 | कासगंज | न.पं. मोहनपुर | 295/2287आ.न.यो./9-8-2014-28आ.न.यो.(बजट)/2014 दिनांक 20.10.2014 | 80.00 | 40.00 | 40.00 |
| 20 | कासगंज | न.पं. बिलराम | 295/2287आ.न.यो./9-8-2014-28आ.न.यो.(बजट)/2014 दिनांक 20.10.2014 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
| 21 | बहराइच | न.पं रिसिया | 296/2404आ.न.यो./9-8-2014-30आ.न.यो.(बजट)/2014 दिनांक 29.10.2014 | 40.00 | 20.00 | 20.00 |
| | | | **योग-** | **2139.05** | **1069.525** | **1069.525** |

**( रूपये दस करोड उन्हत्तर लाख वावन हजार पांच सौ मात्र)**

2. उक्त् पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत लेखाशीर्षक- "2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-193-नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उसके समतुल्य निकायों को सहायता-04-उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय-01- आदर्श नगर विकास योजना-35-पूंजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।

3. अवमुक्त की जा रही धनराशि के आहरण हेतु सम्बन्धित नागर निकायों द्वारा 03 दिन के अन्दर बिल बनाकर सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जायेगा, जिसे जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर सम्बन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को आगामी 03 दिवस के अन्दर प्रेषित किया जायेगा।

अवमुक्त धनराशि मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निकायों द्वारा आदर्श नगर योजना के संचालन हेतु निकाय द्वारा खोले गये पृथक राष्ट्रीयकृत बैंक खाते में आगामी 03 दिवस के अन्दर सीधे जमा की जायेगी।

4. सम्बन्धित नगर पंचायतों को आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत पूर्व में जारी की गयी वित्तीय स्वीकृतियों से सम्बन्धित स्तम्ब 03 में उल्लिखित शासनादेशों की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

5. यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय

**( उमा शंकर सिंह )**
संयुक्त सचिव।

**<u>संख्या-150/2015/250(1)आ.न.यो./9-8-15 तददिनांक ।</u>**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग।
3. सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, नगरीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश्, इलाहाबाद।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 एवं 9/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, 2
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

**( उमा शंकर सिंह )**
संयुक्त सचिव।

http://shrisandesh.up.nic.in